रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 27 मई, 2005/6 ज्येष्ठ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 20 अप्रैल, 2005

संख्या का0(प्र0)ए(3)-7/89.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29 नवम्बर, 1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "I" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 के उपाबन्ध "I" में,—

(क) स्तम्भ संख्या 8 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:—

आयु	लागू नहीं ।
शैक्षणिक अर्हताएं	लागू नहीं ।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"उन आशुटंककों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या लगातार तदर्थ सेवा सहित पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर राज्य सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से स्थानान्तरण द्वारा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में लगातार की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित, सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,

एस० के० दास,
प्रधान सचिव।

[*Authoritative English text of this department notification No. per (Trg.) A (3)-7/89, dated 20th April, 2005 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TRAINING & FOREIGN ASSIGNMENTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th April, 2005

No. Per (Trg.)A(3)-7/89.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Institute of Public Administration, Junior Scale Stenographer Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified *vide* this Department, Notification of even number dated 29-11-1995, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh, Institute of Public Administration, Junior Scale Stanographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2005.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "I".*—In Annexure "1" to the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Junior Scale Stanographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995,—

(*a*) for the existing provisions against Column No. 8, the following shall be substituted, namely :—

Age	.. Not Applicable
Educational Qualification	.. Not Applicable

(*b*) For the existing provisions against column No. 11 the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst the Steno-typists who possess 5 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered in the grade failing which by transfer from amonst the incumbents working in the pay scales of this post in other Departments of State Government.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been

made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R and P Rules, provided that :

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions of rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules:

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,

S. K. DASH,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।